.. निर्णय ..

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88–188–209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा गीदाखेडा पटवार हल्का मण्डफिया में वर्तमान खाता संख्या 139 में आराजी नम्बर 120 रकबा 5 बिस्वा आ0चाह स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है । उक्त आ0चाह नम्बर 120 वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में पुश्तैनी रूप से

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:46:15 IST
Reason: SelfAttested

11.2.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

चला आ रहा है जो कि मूल पुरूष देवा जी के संयुक्त हिन्दु परिवार के समय से चा आ रा है जिनका सजरा इस प्रकार है –

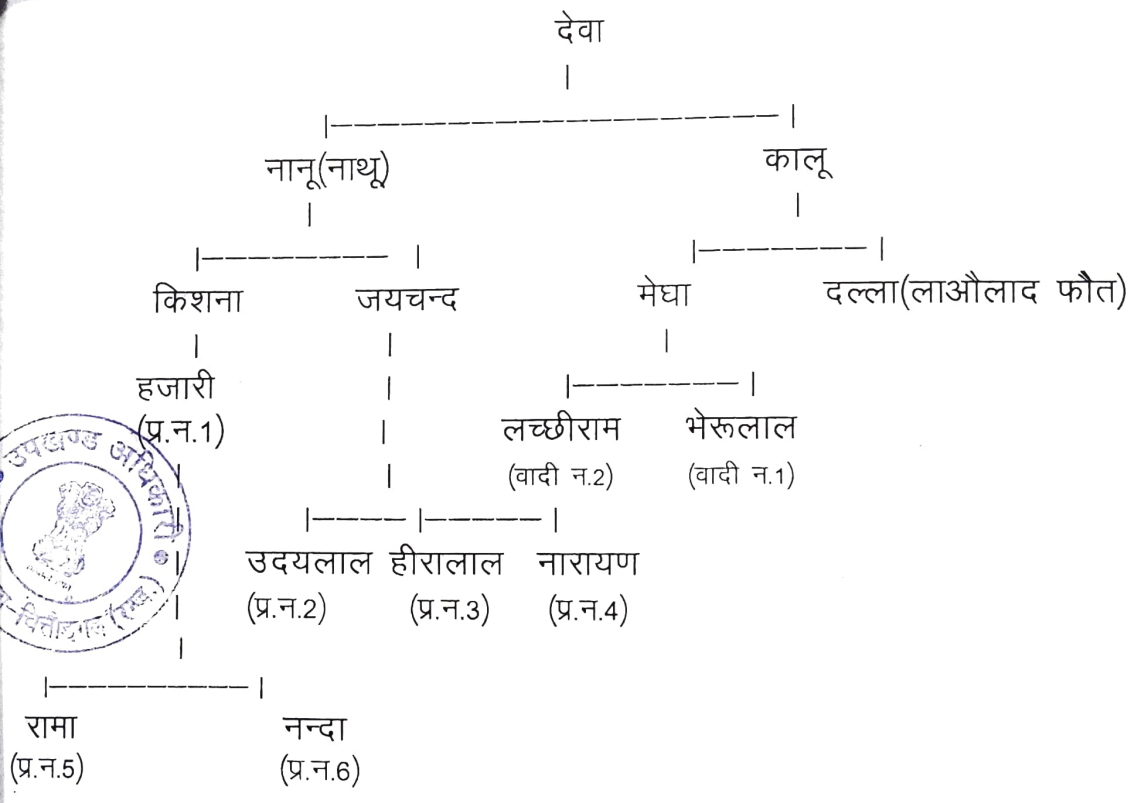

उपरोक्त सजरा अनुसार देवा के दो पुत्र नानू(नाथू एवं कालू हुए, कालू फोत होकर उसके दो पुत्र मेघा एवं दल्ला हुए , दल्ला लाऔलाद फौत हुआ एव मेघा के दो पुत्र लच्छीराम व भेरूलाल हुए जो वादी हैं जिनका उक्त चाह में हक हिस्सा निहीत है तथा नानू (नाथू) के दो पुत्र किशना एवं जयचन्द हुए किशना के एक पुत्र हजारी हुआ व हजारी के दो पुत्र किशना एवं जयचन्द हुए किशना के एक पुत्र हजारी हुआ व हजारी के दो पुत्र रामा एवं नन्दा हुए तथा जयचन्द के तीन पुत्र उदयलाल , हीरालाल, नारायण हुए जिनका भी उक्त चाह में हक हिस्सा निहीत हुआ यानि कि 1/2 हक हिस्से में से 1/2 यानि 1/4 हक हिस्सा नानू (नाथू) के वारिसान एवं जयचन्द के वारिसान का एवं शेष 1/4 हिस्सा वादीगण का निहीत हुआ है । वादीगण अपने 1/4 हक का उपयोग उपभोग करते आ रहें है एवं शेष 1/4 हक हिस्से का उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से करते आ रहें हैं तथा शांतिपूर्वक अपने अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के करते आ रहें है तथा अपने पूर्वजों के समय से मौके पर हक हिस्से अनुसार विगत 30–40 वर्षो से काबिज चले आ रहे है इसलिये वादीगण उक्त आराजी नम्बर 120 में अपना 1/4 हक हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी है क्योंकि रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज होने से रह गया तथा खाते में नानू (नाथू) वारिसान का नाम ही दर्ज हुआ , जिसकी जानकारी पूर्व में वादीगण को नहीं थी इसलिये कोई कार्यवाही नहं की व अभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.12.31 15:46:15 IST
Reason: SelfAttested

11.2.17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

दिनांक 23.06.09 को खाते की नकल प्राप्त की तब वादीगण को इस तथ्य की जानकारी हुई व जानकारी होते ही वादीगण ने प्रतिवादीगण से इस संबंध में कहा एवं रेकार्ड में नाम दर्ज कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण टालचाल करते रहें व शीघ्र ही वादीगण का नाम दर्ज कराने का आश्वासन देते रहे लेकिन अभी तक नाम दर्ज नहीं कराया इसलिये वादीगण को यह दावा पेश करना पड रहा है । व अब प्रतिवादीगण की नियत में बदयान्ति आ गई है इसलिये वे जमीन खुर्द बुर्द करने व सिंचाई में बाधा करने की धमकिंया दे रहें है इसलिये उनकों स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना भी आवश्यक है कि वे वादीगण के हक हिस्से में बाधा पैदा नहीं करें न करावें व वादीगा को अपने हक हिस्से अनुसार आराजी की सिंचाई उक्त चाह से करने देवेकं उसमें कोई बाधा नही करें व हक हिस्से महरूम नहीं करें न करावें ।

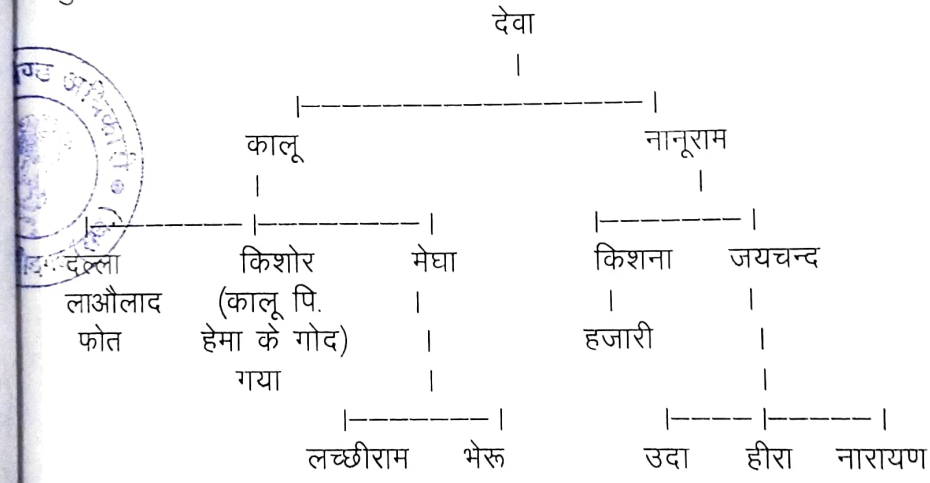

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि – वाद पत्र में वर्णित आराजी मात्र मौजा टीलाखेडा प0ह0 मण्डफिया में स्थित होना स्वीकार है वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वीकार नहीं है सही सजरा निम्न है –

देवा
- कालू
  - दल्ला — लाऔलाद फोत
  - किशोर (कालू पि. हेमा के गोद) गया
  - मेघा
    - लच्छीराम
    - भेरू
- नानूराम
  - किशना
    - हजारी
  - जयचन्द
    - उदा
    - हीरा
    - नारायण

उपरोक्त सजरे अनसार मात्र पुश्तैनी जायदाद में उपरोक्त सजरेदारों का हक हिस्सा निहीत है किन्तु विवादित कुआं जो कि पुश्तैनी जायदाद में चली आ रही थी किन्तु हक हिस्से व बंटवारें के अनुसार संयुक्त परिवार मे यह तय हुआ कि मेघा के हक हिस्से की आराजीयात जो कि जगदीश भाट से खरीदी है उस जगह पानी बताया गया है वहां कुआं खुदवाया जावें कुए का निर्माण कार्य कराया जावे जिससे जहां कुआ खोदा गया है वह हक हिस्सा मेघा की खरीद शुदा आराजीयात का रकबा है तथा कुए के निर्माण में जो भी लागत आयेगी वह हजारी पिता किशना प्रतिवादी नम्बर 1 वहन करेगा जिससे प्रतिवादी हजारी ने [illegible] खुदवा कर बनवाया जिसमें उ समय 80 हजार रूप्ये अनुमानित लागत लगी [illegible] की मोटर भी प्रतिादी हजारी ने लगाइ जिसमें भी बिजली की मोटर व अन्य [illegible] लगभग साडे बारह हजार रूप्ये खच हुए वह भी हजारी ने वहन किये तथा जो बिजली का कनेक्शन हुआ वह चूंकि मेघा की आराजीयात होने से मेघा के नाम से बिजली का कनेक्शन हुआ किन्तु बिजली के कनेक्शन के बाद जो भी खर्चा आ रहा है उसमें 1/2 हक हिस्सा हजारी उदा हीरा व नारायण संयुक्त रू से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:46:15 IST
Reason: SelfAttested

11.2.17

वहन करते चले आ रहें है जिससे विवादित चाह में 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 हजारी का निहीत है व हजारी उक्त चाह का अपने हक हिस्से अनुसार आराजीयात को सिंचित करते में उपयोग उपभोग कर रहा है । मुख्य विवाद जो मेघा ने आराजीयात जगदीश भाट से खरीदी और जिस पर कुए खुदाई से लगाकर बिजली की मोटर व बिजली का कनेक्शन के खर्चे सहित प्रतिवादी नम्बर 1 ने रूप्या खर्च किया जिससे उक्त चाह मे प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने जब कुए का निर्माण कराया तब से अपने 1/2 हक हिस्से का उपयोग कर रहा है व आज भी प्रतिवादी नमबर 1 अपने परिवार सहित अपने हक अधिकार का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा इस चाह के अलावा जो संयुक्त खातेदारी में ाह दर्ज है उसमें भी प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से अनुसार उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहें हैं दिनांक 30–11–200 को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है आराजी नम्बर 120 में वादी का कोई हक अधिकारी निहीत नहीं है चूंकि आराजी नम्बर 120 रकबा 5 बिस्वा आ0चा0 में 1/2 हक हिस्सा सरकार का व 1/2 हक हिस्सा वादी के पिता एवं उनके भाई जयचन्द का निहित है और इन्ही के परिवार के सदस्यों द्वारा इसका उपयोग उपभोग किया जाता है । उक्त आराजी में वादीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है जिससे वादीगण के नाम दर्ज कराने का कहना व प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । जो उक्त आराजीयात में खातेदारान है उनकों उनके हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने व खुर्द बुर्द करने का कानूनी अधिकार है । अतः वाद पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें ।

प्रस्तुत वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार निम्न तनकी का निर्माण किया गया :–

तनकी नम्बर –1

आया वादीगण वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण 1/4 हक हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी है ।

..... जिम्में वादी

तनकी नम्बर –2

आया वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है

..... जिम्में वादी

तनकी नम्बर –3

आया प्रतिवादीगण वाद की कलम नम्बर 1 में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं होने से हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी नहीं है ।

Signature Not Verified

.....जिम्में प्रतिवादीगण

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:46:15 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर –4

अनुतोष

वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा खाता संख्या 101, 102 संवत् 2059–62 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा खाता संख्या 139 संवत् 2059–62 प्रदर्श–2

उपखण्ड अधिकारी

3. नकल जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा खाता संख्या 101, संवत् 2059—62
4. सेटलमेन्ट जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा खाता संख्या 58 संवत् 1986 प्रदर्श—3
5. नकल जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा खाता संख्या 161 संवत् 2059—62 प्रदर्श—4
6. सेटलमेन्ट ,खसरा मौजा गिदाखेडा प्रदर्श—5
7. नकल जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा खाता संख्या 72 संवत् 2021—14 प्रदर्श—6
8. सेटलमेन्ट जमाबन्दी मौजा गिदाखेडा नम्बर शुमार 12, 11 प्रदर्श—7
9. गवाह भेरूलाल पिता मेघा गाडरी निवासी गिदाखेडा का शपथ पत्र
10. गवाह नारायण पिता नवला मीणा निवासी गिदाखेडा का शपथ पत्र
11. गवाह डालू पिता टोलू मीणा निवासी गिदाखेडा का शपथ पत्र

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में भाग नहीं लेने से लायक अधिवक्ता की बह
एक पक्षीय सुनी गई जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रस्त
तर्को पर मनन किया गया । खाता संख्या 139 के आराजी चाह नम्बर 120 रकबा 0—
बिस्वा दर्ज होकर मूल पुरूष देवा के सभी वारिसान का हक हिस्सा है । महकमा बन्दोब
राज्य मेवाड के क्रमांक 11 के खसरा नम्बर 120 आता चाह 05 बिस्वा अंकित है
प्रदर्श—7 से प्रमाणित होकर वादीगण के दादा कालू वल्द देवा एवं प्रतिवादीगणें के दा
नानू वल्द देवा का नाम अंकित है जिससे दोनों पक्षकारान द्वारा पिलाई का भी उल्लेख
खसरा महकमा बन्दोबस्त में भी वादीगणों एवं प्रतिवादीगण की भूमि आता चाह नम्बर 1
से सिंचित होने का उल्लेख है जो प्रदर्श—5 से प्रमाणित है । प्रतिवादीगण द्वारा अप
जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने जवाबदा
अपोषणीय हो जाता है इसलिए तनकीवार निष्कर्श की आवश्यकता नहीं है । गवाहान
बयानों से भी साबित कराया गया है कि विवादित आता चाह नम्बर 120 में वादीगण
1/2 का 1/2 अर्थात 1/4 हिस्सा है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मान
है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है
मौजा गिदाखेडा पटवार हल्का मण्डफीया की आराजी नम्बर 120 रकबा 05 बिस्वा आ
चाह में वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता
तथा 1/2 हिस्सा बदस्तूर सरकार के खाते में रहेगा । उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड
अमलदरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री ... से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय ... कराया जाकर आज दिनां
11—02—2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:46:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

(मांगीलाल रेगर) 11-2-
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़